

न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि.नं० 133/21

निर्णय दिनांक:-13.08.2022

उनवान

- 1- फूलाबाई उर्फ फूलन्ताबाई पुत्री श्री मोहनलाल , पत्नी श्री जगदीश जाति मीणा निवासी कुराडी तहसील दीगोद जिला कोटा हाल निवासी प्रेमनगर-II, देवनारायण मन्दिर के पास कोटा  
(वादीनी )

बनाम

- 1- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा (राज0) (प्रतिवादी)

वादी की ओर से- श्री प्रमोद कुमार चौधरी अधिवक्ता

प्रतिवादी की ओर से- तहसीलदार दीगोद

वाद अन्तर्गत धारा 88-89 आर.टी. एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरुस्ती  
निर्णय

संक्षेप में मामला यह है कि वादीनी व अन्य सहखातेदारान के खाते व कब्जे काश्त की निम्न विवरण की कुल 6 किता की 6.66 है0 भूमि वाके ग्राम कुराडी तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 107/332 की 0.04 हे0, खसरा नम्बर 122 की 0.48 हेक्टर, खसरा नं0 278/362 की 0.95 हेक्टर , खसरा नम्बर 55 की 3.55 हेक्टर, खसरा नम्बर 56 की 1.12 हे0, ख0नं0 8 की 0.52 हेक्टर स्थित चली आ रही है।

यह कि उपरोक्त भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में वादीनी का नाम फूलन्ता बाई दर्ज है जबकि वादीनी का नाम फूलाबाई है। वादीनी के समस्त अन्य दरतावेजों में भी फूलाबाई दर्ज है।

अतःवादीनी ने निवेदन किया है कि ग्राम कुराडी तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 107/332 की 0.04 हे0, खसरा नम्बर 122 की 0.48 हेक्टर, खसरा नं0 278/362 की 0.95 हेक्टर , खसरा नम्बर 55 की 3.55 हेक्टर, खसरा नम्बर 56 की 1.12 हे0, ख0नं0 8 की 0.52 कुल 6 किता की 6.66 हेक्टर भूमि में वादीनी का नाम फूलन्ताबाई के स्थान पर फूलाबाई दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वादीनी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादी की विधिवत करवायी गयी। प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद से जवाब सरकार लिया गया। तहसीलदार दीगोद की ओर से प्रस्तुत जवाब अनुसार फूलाबाई व फूलन्ताबाई एक ही महिला होना प्रकट किया है। तहसीलदार दीगोद की ओर से अभिशंभा की है कि

604  
सदस्य  
राष्ट्रीय लोक अदालत  
दीगोद जिला कोटा

Sundar  
सदस्य  
राष्ट्रीय लोक अदालत  
दीगोद जिला कोटा

U  
अध्यक्ष  
राष्ट्रीय लोक अदालत  
दीगोद जिला कोटा



वादीनी का नाम फूलन्ताबाई के स्थान पर फूलाबाई दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

वादीनी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादीनी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादीनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम कुराडी तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 107/332 की 0.04 हे०, खसरा नम्बर 122 की 0.48 हेक्टर, खसरा नं० 278/362 की 0.95 हेक्टर, खसरा नम्बर 55 की 3.55 हेक्टर, खसरा नम्बर 56 की 1.12 हे०, ख०नं० 8 की 0.52 कुल 6 किता की 6.66 हेक्टर भूमि में वादीनी का नाम फूलन्ताबाई के स्थान पर फूलाबाई दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2022 को सरे राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में मजमें आम में सुनाया गया।

सदस्य  
राष्ट्रीय लोक अदालत  
दीगोद जिला कोटा

सदस्य  
राष्ट्रीय लोक अदालत  
दीगोद जिला कोटा

अध्यक्ष  
राष्ट्रीय लोक अदालत  
दीगोद जिला कोटा

डिकी मुकदमा  
न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद जिला कोटा (राज0)

उनवान

- 1- फूलाबाई उर्फ फूलन्ताबाई पुत्री श्री मोहनलाल , पत्नी श्री जगदीश जाति मीणा निवासी कुराडी तहसील दीगोद जिला कोटा हाल निवासी प्रेमनगर-II, देवनारायण मन्दिर के पास कोटा (वादीनी )

बनाम

- 1- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा (राज0) (प्रतिवादी)

वाद अन्तर्गत धारा 88-89 आर.टी. एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरुरती  
मिसल नम्बर 133/21

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब मिनजानिब मुद्दालय न्यायालय में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकरं ग्राम कुराडी तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 107/332 की 0.04 हे0, खसरा नम्बर 122 की 0.48 हेक्टर, खसरा नं0 278/362 की 0.95 हेक्टर , खसरा नम्बर 55 की 3.55 हेक्टर, खसरा नम्बर 56 की 1.12 हे0, ख0नं0 8 की 0.52 कुल 6 किता की 6.66 हेक्टर भूमि में वादीनी का नाम फूलन्ताबाई के स्थान पर फूलाबाई दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरुरती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिकी जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 13.08.2022 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दै	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनाम	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

ह.मि.स.  
सवरस्य  
राष्ट्रीय लोक अदालत  
दीगोद जिला कोटा

शुभेन्द्रा  
सवरस्य  
राष्ट्रीय लोक अदालत  
दीगोद जिला कोटा

अध्यक्ष  
राष्ट्रीय लोक अदालत  
दीगोद जिला कोटा